रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 1973/फाल्गुन 14, 1894

No. 49] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 1973/PHALGUNA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 5th March 1973

G.S.R. 157 (E) In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 138/70 Central-Excises, dated the 13th June, 1970, the Central Government hereby fixes for processed rayon and artificial silk fabrics, specified in column (2) of the Table hereto annexed and chargeable with duty *ad-valorem* under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the said Act, the tariff values specified in the corresponding entry in column (3) or column (4), as the case may be, of the said Table:

Provided that nothing contained in this notification shall apply to fents and rags.

THE TABLE

Sl No.	Description	Fabrics printed or containing lurex (metallic/plastic) Yarn.	Others
1	2	3	4
		(Rs. per square metre)	
1	Fabrics made wholly of polyamide (nylon) filament yarn but excluding:		
	(i) fabrics made of crimped yarn,		
	(ii) pleated fabrics,		
	(iii) raised (velvet) fabrics,		
	(iv) laces,		
	(v) sateen, and		
	(vi) leno fabrics.		
	(a) knitted fabrics		
	(i) exceeding 15 square metres per kilogram but not exceeding 30 square metres per kilogram	8·50	7·70
	(ii) exceeding 30 square metres per kilogram but not exceeding 50 square metres per kilogram	5·50	4·80
	(b) Fabrics not otherwise specified—		
	(i) not exceeding 15 square metres per kilogram	10·30	9·80
	(ii) exceeding 15 square metres per kilogram but not exceeding 25 square metres per kilogram	6·10	4·90
	(iii) exceeding 25 square metres per kilogram	5·10	3·90
2	Fabrics made of a combination of polyamide (nylon) filament yarn not exceeding 25 percent. and filament yarn of cellulosic derivatives, but excluding sateen brosso ((including knitted brosso), and fabrics containing crimped yarn—		
	(i) not exceeding 15 square metres per kilogram	5·30	4·30
	(ii) exceeding 15 square metres per kilogram	4·00	3·40
3	Fabrics made of a combination of polyamide (nylon) filament yarn and yarn spun from synthetic staple fibre of cellulosic origin but excluding lace and brosso (including knitted brosso)—		
	(a) suitings and coatings,	7·00	6·30
	(b) fabrics containing twinkle polyamide (nylon) filament yarn	4·70	4·20
	(c) fabrics not otherwise specified—		
	(i) containing polyamide (nylon) filament yarn not exceeding 15 percent	3·30	2·90
	(ii) containing polyamide (nylon) filament yarn exceeding 15 percent but not exceeding 30 percent	4·20	3·80

1	2	3	4
4.	Fabrics made wholly or filament yarn of cellulosic origin but excluding (i) furnishing fabrics (including tapestry) and (ii) velvet		
	(A) Moss crepe and georgette	4·40	3·80
	(B) Other—		
	(a) Jacquared weave—		
	(i) not exceeding 10 square metres per kilogram	6·80	4·40
	(ii) exceeding 10 square metres per kilogram but not exceeding 15 square metres per kilogram	6·00	3·40
	(iii) exceeding 15 square metres per kilogram	5·00	2·60
	(b) Other than jacquared weave—		
	(i) not exceeding 10 square metres per kilogram	4·80	4·20
	(ii) exceeding 10 square metres per kilogram but not exceeding 15 square metres per kilogram	3·00	2·50
	(iii) exceeding 15 square metres per kilogram	2·70	2·20
5.	Fabrics made of a combination of filament yarn of cellulosic origin and yarn spun from synthetic staple fibre of cellulosic origin or made wholly of yarn spun from synthetic staple fibre of cellulosic origin, but excluding furnishing fabrics (including tapestry)		
	(a) coatings and suitings	4·50	3·80
	(b) Others	3·80	3·00

Explanation —For the purposes of this notification, the expressions "processed," "fents" and "rags" shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 175/72—Central Excise, dated the 24th July, 1972.

[No. 90/73]

B. K. AGARWAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1973

सा० का० नि० 157 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 138/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 जून, 1970 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और उक्त

अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 को उपमद (1) के अन्तर्गत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य प्रसंस्कृत रेयन और कृत्रिम सिल्क के कपड़े के लिए उक्त सारणी के, यथास्थिति, स्तम्भ (3) या स्तम्भ (4) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य नियत करती है —

परन्तु इस अधिसूचना में की गई कोई बात टुकड़ों और चियड़ों को लागू नहीं होगी।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	छिपे हुए या ल्यूरिक्स (धात्विक/प्लास्टिक) सूत वाले कपड़े	अन्य
1	2	3	4
		(प्रति वर्ग मीटर रु0)	
1	पूर्णत. पोलीमाइड (नाइलोन) फिलामेंट से बने कपड़े किन्तु		
	(i) झुर्रीदार से बने कपड़े,		
	(ii) प्लीटिड वाले कपड़े,		
	(iii) उभरे (मखमली) कपड़े,		
	(iv) लेसों,		
	(v) साटिन, और		
	(vi) सूती जाली के कपड़ों को छोड़कर		
	(क) बुने हुए कपड़े		
	(i) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 30 वर्गमीटर से अनधिक	8 50	7.70
	(ii) प्रति किलोग्राम 30 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रतिकिलोग्राम 50 वर्गमीटर से अनधिक	5.50	4.80
	(ख) अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए गए कपड़े		
	(i) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अनधिक	10 30	9.80
	(ii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 25 वर्गमीटर से अनधिक	6.10	4.90

1	2	3	4
	(iii) प्रति किलोग्राम 25 वर्गमीटर से अधिक	5.10	3.90
2.	पोलीमाइड (नाइलोन) फिलमेंट सूत जो 25 प्रतिशत से अधिक न हो और सैलूलोसी उद्भव के फिलमेंट सूत के सम्मिश्रण से बने कपड़े किन्तु साटिन, ब्रोसो (बुनी ब्रोसो सम्मिलित करके), और झुर्रीदार सूत वाले कपड़ों को छोड़ कर--		
	(i) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अनधिक	5.30	4.30
	(ii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अधिक	4.00	3.40
3.	पोलीमाइड (नाइलोन) फिलमेंट सूत और सैलूलोसी उद्भव के संश्लिष्ट स्टेपल फाइबर से कते सूत के सम्मिश्रण से बने कपड़े किन्तु लेसों और ब्रोसो (बुने ब्रोसो सम्मिलित करके) को छोड़कर--		
	(क) कोटिंग और सूटिंग . .	7.00	6.30
	(ख) झिलमिल पोलीमाइड (नाइलोन) फिलमेंट सूत वाले कपड़े . .	4.70	4.20
	(ग) अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए गए कपड़े--		
	(i) 15 प्रतिशत से अनधिक पोलीमाइड (नाइलोन) फिलमेंट सूत वाले	3.30	2.90
	(ii) 15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 30 प्रतिशत से अनधिक पोलीमाइड (नाइलोन) फिलमेंट सूत वाले	4.20	3.80
4.	सैलूलोसी उद्भव के पूर्णतः फिलमेंट सूत से बने कपड़े किन्तु (i) मज्जा फैब्रिकों (टेप्सट्री सम्मिलित करके) और (ii) मखमल, को छोड़कर--		
	(क) मोसक्रैप और जारजट	4.40	3.80
	(ख) अन्य--		
	(क) जैकर्ड बुनावट--		
	( ) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अनधिक	6.80	4.40

1	2	3	4
	(ii) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अनधिक . .	6.00	3.40
	(iii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अधिक	5.00	2.60
	(ख) जैकर्ड बुनावट से भिन्न:—		
	(i) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अनधिक . . .	4.80	4.20
	(ii) प्रति किलोग्राम 10 वर्गमीटर से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अनधिक . .	3.00	2.50
	(iii) प्रति किलोग्राम 15 वर्गमीटर से अधिक . . .	2.70	2.20
5	सैलूलोसी उद्भव के फिलमें, सूत और सैलूलोसी उद्भव के सश्लिष्ट स्टेपल फाइबर से कते सूत के सम्मिश्रण से बने कपड़े या पूर्णतः सैलूलोसी उद्भव के सश्लिष्ट स्टेपल फाइबर से कते सूत के बने कपड़े किन्तु सज्जा फैब्रिकों (टेक्स्ट्री सम्मिलित करके) को छोड़कर—		
	(क) कोटिंग और सूटिंग . . .	4.50	3.80
	(ख) अन्य	3.80	3.00

स्पष्टीकरण —इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "प्रसंस्कृत", "टुकड़े" और "चिथड़े" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 175/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 के स्पष्टीकरण में दिए गए हैं।

[सं० 90/73]

बी० के० अग्रवाल, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI 1973